न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद संख्या :– 39/2020

शीर्षक

1. नौली देवी पत्नी सत्यनारायण जाति स्वामी निवासी जयसिंहपुरा
   1/1 कैलाश पुत्र सत्यनारायण
   1/2 मीरा पुत्री सत्यनारायण
   1/3 संतोष पुत्री सत्यनारायण
   1/4 ललिता पुत्री सत्यनारायण
   1/5 विमला पत्नी श्रवण कुमार
   1/6 राधाकिशन पुत्र श्रवण कुमार
   1/7 पंकज पुत्र श्रवण कुमार
   1/8 पिंकी पुत्री श्रवण कुमार
   समस्त जाति स्वामी निवासी जयसिंहपुरा तन साईवाड तह0 शाहपुरा जयपुर राज.।
2. ग्यारसीलाल पुत्र धन्ना जाति अहिर निवासी जयसिंहपुरा तन साईवाड तह0 शाहपुरा जयपुर राज.।

वादीगण

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी भैरूवाला वार्ड 17 शाहपुरा जिला जयपुर।

2. कल्याण सहाय पुत्र भैरूराम यादव जाति अहिर निवासी चिमनपुरा (हजब)

2/1. सुरजी देवी पत्नी रामलाल जाति अहिर निवासी उदावाला बावडी चिमनपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

3. गुलाब देवी पत्नी मनफुल जाति कुमावत

4. भूरा पुत्र बोदिया जाति खण्डवाल निवासी साईवाड तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

5. कमला पत्नी धन्ना

6. उमराव पुत्र धन्ना

7. गीता पुत्री धन्ना

समस्त जाति अहिर निवासी जयसिंहपुरा तन साईवाड तह0 शाहपुरा जयपुर राज.।

8. पुरण मल पुत्र गुल्ला राम जाति माली

9. बन्ना पुत्र भैरू जाति अहिर (फौत)

9/1. रामकुवार पुत्र बन्ना

9/2 श्याम सुन्दर पुत्र बन्ना

9/3 रूकमा देवी पत्नी बन्ना

9/4 सुन्दरी देवी पुत्री बन्ना

9/5 रमेश पुत्र सीताराम

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

9/6 अंकिता पुत्र सीताराम

9/7 सजना पत्नी सीताराम

9/8 सुमन पुत्री सीताराम

9/9 किरण पुत्री सीताराम

समस्त जाति अहिर निवासी जयसिंहपुरा तन साईवाड तह0 शाहपुरा जयपुर राज.।

10. मनफुली पत्नी पूरणमल जाति माली

11. मिश्री देवी पुत्री धन्ना

12 रामसिंह पुत्र धन्ना

13. सरोज पुत्री धन्ना

14 यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0 ।

15 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा चिमनपुरा शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

16 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा साईवाड शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

17 राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

18 उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 01/05/24

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता सं०–3 के खसरा नं0–1019/1.33, 197/0.52, 198/1.80, 199/0.09, 200/0.24, 201/0.58, 202/0.02, 203/0.09, 204/0.53 कुल किता–9 रकबा 5.20 है० वाकै ग्राम जयसिंहपुरा, पटवार हल्का साईवाड, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी सं0–1 का हिस्सा 1/8 तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0–1 लगायत 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है एवं हाल आराजी खाता सं०–6 के हाल आराजी खसरा नं0–194/1.61, 195/0.85, 196/1.35 है० वाकै ग्राम जयसिंहपुरा, पटवार हल्का साईवाड, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी सं०–2 का हिस्सा 3/64 व शेष हिस्सा प्रतिवादी सं०–2 व प्रतिवादी सं०–5 लगायत 13 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 व 2 में वर्णित आराजी मुतनाजा में वादीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादीगण भी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर सहखातेदार काश्तकार है। यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 व 2 में वर्णित आराजी मुतनाजा का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है उक्त भूमि सहखातेदारी भूमि होने से प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गई है और वे आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी लठैत व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में प्रतिवादी सं0–18 के कार्यालय में अन्तरण डीड पंजीबद्ध कराने तथा आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराने व विशिष्ट भू–भाग पर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादीगण का ऐसा करना गलत एवं गैरकानूनी है। यहकि दिनांक 10.09.2020 को वादीगण आराजी

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

मुनाजा में खड़ी फसल की देखरेख कर रहे थे तब प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर 5–7 अजनबी व्यक्तियो को लेकर आये ओर आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग की नाप जोख करने लगे तब वादीगण ने उनसे नापजोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण वादीगण से नाराज हो गये तथा आवेश में आकर वादीगण को एलानियां धमकी दी है कि वे आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को अजनबी व्यक्तियों को बेचान कर उनके पक्ष में अन्तरण करवाकर आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिर्तन करवाकर रहेगे तथा अजनबी व्यक्ति का वादीगण को जबरन बेदखल कर आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करवाकर रहेगे। यहकि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबो में सफल हो गये और उन्होने आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग का बेचान अजनबी व्यक्तियो को कर उनके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर व आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर वादीगण को आराजी मुनाजा से जबरन बेदखल कर आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्ति का कब्जा करवा देगे तो इससे वादीगण के खातेदारी क अधिकारो का हनन होगा जिससे वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादीगण को यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी का बंटवारा करवाने व उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। यहकि खातेदार रामनिवास पुत्र धन्ना अविवाहित फौत हो चुका है, जिसके विधिक वारिसान वादी सं०–2 व प्रतिवादी सं०–5 लगायत 7 व प्रतिवादी सं0–11 लगायत 13 है। तथा प्रतिवादी सं0–14 लगायत 16 के यहां खातेदारान ने अपनी कृषि भूमि को रहन रखकर ऋण लेकर रहा है इस कारण उन्हे कानूनी एतराज पूर्ति हेतु पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खाता सं०–3 के खसरा नं0–1019/1.33, 197/0.52,198/1.80, 199/0.09, 200/0.24, 201/0.58, 202/0.02, 203/0.09. 204/0.53 कुल किता 9 रकबा 5.20 है० वाकै ग्राम जयसिंहपुरा, पटवार हल्का साईवाड, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर का वादी सं०–1 तथा प्रतिवादी सं0–1 लगायत 4 के मध्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर काबिज काश्त के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुये कानूनी बंटवारा किये जाने की आज्ञा प्रदान करे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक पृथक लगान का निर्धारण किया जावे तथा हाल आराजी खाता सं०–6 के हाल आराजी खसरा नं0–194/1.61, 195/0.85, 196/1.35 है० वाकै ग्राम जयसिंहपुरा, पटवार हल्का साईवाड, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर का वादी सं०–2 व प्रतिवादी सं0–2 व प्रतिवादी सं०–5 लगायत 13 के मध्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर काबिज काश्त के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुये कानूनी बंटवारा किये जाने की आज्ञा प्रदान करे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक पृथक लगान का निर्धारण किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव सदैव के लिये इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के जिमन नं0–1 व 2 में वर्णित आराजी मुतनाजा में वादीगण के हिस्से में आई भूमि में किसी प्रकार की बैजा मदाखलत पैदा नहीं करे, ऐसा न तो वे स्वंय करे न ही वे अपने नौकर, सर्वेन्ट, स्थानापन्नो उत्तराधिकारीयो से करावे वादीया को शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किए गये। प्रकरण में एडवोकेट झाबर सिंह यादव ने प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी पेश किया। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्रों को वकील उभयपक्ष ने स्वीकार करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि उभयपक्ष को उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने से उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगायत 6, 8, 10, 12 बाद तामील

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

व सूचना के उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4,9 सीपीसी व नाम हजफ का पेश किया। वकील प्रतिवादी को नकल दिलाई गई । उभयपक्ष ने उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। न्यायहीत में प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4,9 सीपीसी तथा नाम हजफ का0मु0 वादिया सं0 1 के का0मु0 सत्यनारायण का स्वीकार किया गया। प्रकरण में संशोधित शीर्षक पेश किया गया। प्रकरण में वकील उभयपक्ष को वकील प्रतिवादी के जवाब दावे पर सुना गया व प्रकरण में दिनांक 18.01.2023 को प्राथमिक डिकी जारी की गई व तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत् आदेशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2023/946 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील उभयपक्ष ने अवलोकन कर कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष को सुना गया। कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत उभयपक्ष द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिकी किये जाने हेतु सहमति प्रदान किये जाने से व कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा अन्तिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिकी किया जाता है कि हाल आराजी खाता सं०–3 के खसरा नं0–1019/1.33, 197/0.52,198/1.80, 199/0.09, 200/0.24, 201/0.58, 202/0.02, 203/0.09. 204/0.53 कुल किता 9 रकबा 5.20 है० वाकै ग्राम जयसिंहपुरा, पटवार हल्का साईवाड, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर तथा हाल आराजी खाता सं०–6 के हाल आराजी खसरा नं0–194/1.61, 195/0.85, 196/1.35 है० वाकै ग्राम जयसिंहपुरा, पटवार हल्का साईवाड, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. नौली देवी पत्नी सत्यनारायण जाति स्वामी सा. देह खातेदार हि0 पूर्ण के हिस्से में आ0ख0 न0 1019/1 रकबा 0.3000 है0, 198/3 रकबा 0.3500 है0 कुल किता 2 रकबा 0.6500 है0 भूमि रहेगी।

2. पूरणमल पुत्र गुल्लाराम हि0 1/2 मनफुली पत्नी पूरणमल हि0 1/2 जाति माली सा0 साईवाड खातेदार राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा साईवाड के हिस्से में आ0ख0 न0 194/1 रकबा 0.5800 है0, 195/1 रकबा 0.3725 है0 कुल किता 2 रकबा 0.9525 है0 भूमि रहेगी।

3. अनिल कुमार गुर्जर पुत्र घासीराम गुर्जर हि0 130/325 जाति गुर्जर सा0 ढाणी मीरूवाला वार्ड नं0 17 शाहपुरा राहिन यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, गुलाब देवी पत्नी मनफूल हि0 65/325 जाति कुमावत सा0 देह भूरा पुत्र बोदिया हि0 130/325 जाति खण्डवाल सा0 देह खातेदार के हिस्से में आ0ख0 न0 1019/2 रकबा 1.0300 है0, 198/2 रकबा 0.8400 है0, 198/4 रकबा 0.4500 है0, 199 रकबा 0.0900 है0, 200 रकबा 0.2400 है0, 201 रकबा 0.5800 है0, 202 रकबा 0.0200 है0 कुल किता 7 रकबा 3.2500 है0 भूमि रहेगी।

4. सूरजी देवी पत्नी रामलाल जाति अहिर सा0 चिमनपुरा खातेदार के हिस्से में आ0ख0 न0 204 रकबा 0.5300 है0, 203 रकबा 0.0900 है0, 194/3 रकबा 0.3330 है0, 196/2 रकबा 0.4200 है0, 195/4 रकबा 0.1100 है0, 197/1 रकबा 0.1700 है0, 198/5 रकबा 0.0750 है0 कुल किता 7 रकबा 1.7280 है0 भूमि रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

5. बन्ना पुत्र भैरू हि0 9043/22849 जाति अहीर चिमनपुरा राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा साईवाड, उमराव ग्यारसीलाल रामनिवास रामसिंह पुत्रान धन्ना, गीता मिश्री सरोज पुत्रीयान धन्ना, कमला पत्नी धन्ना जाति अहीर सा0 साईवाड हि0 13806/22849 खातेदार राहिन वदस्तुर हि0 उमराव, ग्यारसीलाल, रामसिंह, मुताबिक जमाबंदी के हिस्से में आ0ख0 न0 194/4 रकबा 0.3330 है0, 194/2 रकबा 0.3330 है0, 196/1 रकबा 0.8500 है0, 198/1 रकबा 0.0850 है0, 195/3 रकबा 0.3339 है0, 197/2 रकबा 0.3500 है0 कुल किता 6 रकबा 2.2849 है0 भूमि रहेगी।

6. सूरजी देवी पत्नी रामलाल हि0 1/3 जाति अहीर सा0 चिमनपुरा , बन्ना पुत्र भैरू हि0 1/3 जाति अहीर सा0 चिमनपुरा , उमराव ग्यारसीलाल रामनिवास रामसिंह पुत्राान धन्ना, गीता मिश्री सरोज पुत्रीयान धन्ना, कमला पत्नी धन्ना जाति अहीर सा0 साईवाड हि0 1/3 खातेदार राहिन वदस्तुर हि0 बन्ना, उमराव, ग्यारसीलाल, रामसिंह मुताबिक जमाबंदी आ0ख0 न0 194/5 रकबा 0.0310 है0, 195/2 रकबा 0.0336 है0, 196/3 रकबा 0.0800 है0 कुल किता 3 रकबा 0.1446 है0 भूमि रास्ते के लिये रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीया /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)
शाहपुरा जिला जयपुर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान